



उत्तर प्रदेश			
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट (हस्तशिल्प)योजनाएँ	आजीविका योजनाएँ	अन्य प्रासंगिक योजनाएँ	कोविड-19 घोषणाएँ/ योजनाएँ
<p><b>विभाग:</b> एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग (एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट)</p> <p><b>योजना 1:</b> हैंडीक्राफ्ट पेंशन योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडीक्राफ्ट के कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना या शिल्पगुरु के रूप में चुना जाना, जिन्हें प्रति माह 2,000 ₹ की पेंशन दी जाती है</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 2:</b> हैंडीक्राफ्ट विपणन संवर्धन योजना (मार्केटिंग प्रमोशन प्लान)</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p>	<p><b>विभाग:</b> एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग (एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट)</p> <p><b>योजना 1:</b> सूक्ष्म, मध्यम और छोटे उद्यमों को स्थापित करने की योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>वेबसाइट पर एक पेज के प्रोफार्मा पर उद्यम के विवरण को भरकर उद्यम के लिए ऑनलाइन ज्ञापन का अधिग्रहण</li><li><b>सोर्स</b> : <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></li></ul> <p><b>योजना 2:</b> उत्तर प्रदेश एमएसएमई राज्य पुरस्कार योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हस्तशिल्प कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उच्च टर्नओवर और गुणवत्ता उत्पादन, अनुसंधान और विकास के लिए</li></ul>	<p><b>विभाग:</b> संस्कृति विभाग</p> <p><b>योजना 1:</b> बुजुर्ग और संकट ग्रस्त कलाकारों के लिए पेंशन योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> पुराने और कमजोर कलाकार, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव (न्यूनतम आयु: 40 वर्ष) और जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>कलाकार और बाद में पति / पत्नी के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://upculture.up.nic.in/Static/soochana_15.html">http://upculture.up.nic.in/Static/soochana_15.html</a></p> <p><b>संपर्क करें:</b> शिशिर, निदेशक 0522-2286672 (ऑफिस) <a href="mailto:directorcultureup@gmail.com">directorcultureup@gmail.com</a> (ई-मेल)</p>	<p><b>योजना:</b> आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान</p> <p><b>लाभार्थी:</b> वापस आये प्रवासी श्रमिक बल और अन्य व्यक्ति और निजी उद्यम (एंटरप्रेन्योर)</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="https://www.livemint.com/news/india/pm-modi-to-launch-up-s-mega-employment-scheme-today-atmanirbhar-uttar-pradesh-rojgar-abhiyan-">https://www.livemint.com/news/india/pm-modi-to-launch-up-s-mega-employment-scheme-today-atmanirbhar-uttar-pradesh-rojgar-abhiyan-</a></p>



<ul style="list-style-type: none"><li>हस्तकला उत्पादों के मार्केटिंग के लिए स्टॉल, बाजार और प्रदर्शनियों में स्टॉल और परिवहन लागत को कवर करने के लिए 10,000 रुपये तक की राज्य सरकार की सहायता</li><li>योजना में आंशिक (कुछ) संशोधन के माध्यम से, इस तरह की आर्थिक सहायता के लिए आवृत्ति को वर्ष में एक से दो बार बढ़ाया गया है</li></ul> <p>सोर्स :<a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 3:</b> निर्यात बाजार के लिए हैंडीक्राफ्ट कौशल विकास और उन्नयन योजना और डिजाइन कार्यशालाएं(वर्कशॉप्स)</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हस्तशिल्प कारीगर (18-35 वर्ष)</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>कौशल विकास प्रशिक्षण राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और</li></ul>	<p>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पुरस्कार</p> <p><b>सोर्स:</b><a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 3:</b> उत्तर प्रदेश एमएसएमई तकनीकी उन्नयन (अपग्रेड) योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>तकनीकी उन्नयन के लिए अनुदान का प्रावधान और आईएसओ / आईएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त करना</li><li>उत्पादन आकार और गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनों को खरीदने के लिए ऋण का प्रावधान</li><li>तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से मौजूदा इकाइयों के लिए उपलब्ध 2 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 4:</b> अनुसूचित जातियों (एससी) / अनुसूचित</p>		<p><a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">11593136341600.html</a> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>घोषणा:</b> राज्य सरकार एक प्रवासन आयोग स्थापित करेगी</p> <p><b>लाभार्थी:</b> दैनिक वेतन मजदूर / श्रमिक</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>मजदूरों / श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान</li><li>व्यापक कल्याण पैकेज सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन आयोग, जिसमें मजदूरों का बीमा और कौशल मैपिंग शामिल है</li><li><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></li></ul> <p><b>संपर्क करें:</b> संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं है.</p>
--	--	--	---



<p>शिल्पगुरु के मार्गदर्शन में प्रदान किया जाता है</p> <ul style="list-style-type: none"><li>हैंडलूम- निर्धारित जिलों में नियमित और प्रायोजित कार्यशालाओं का संगठन, जहां कारीगर निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन करते हैं</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>सोर्स 4:</b> समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हस्तशिल्प कारीगर (18-40 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 है)</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>विनिर्माण क्षेत्र में 6.25 लाख रुपये की 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपये तक के ऋण की उपलब्धता</li><li>सेवा क्षेत्र में 2.50 लाख रुपये की 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक के</li></ul>	<p>जनजातियों (एसटी) के प्रशिक्षण के लिए योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> एससी / एसटी हस्तशिल्प कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>कारीगरों के लिए 4 महीने का लंबा कौशल विकास प्रशिक्षण, 1 महीने के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण और 3 महीने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना</li><li>कार्यशाला के अंत में व्यापार से संबंधित टूलकिट का प्रावधान</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 5:</b> सोलो टेबल व्यवस्था और उद्योग बंधु योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उद्योग बंधुओं की तीन स्तरों की बैठक, इकाइयों की स्थापना की सुविधा के लिए और कारीगरों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए</li></ul>		
--	--	--	--



<p>ऋण की उपलब्धता</p> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 5:</b> समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हस्तशिल्प कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b> पुराने और नए हस्तशिल्प कारीगरों दोनों को प्रति माह 500 रुपये की पेंशन</p> <p><b>स्रोत:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 6:</b> एक जिला एक उत्पाद योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्पाद-विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों का निर्माण, जो पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देंगे जो राज्य के संबंधित जिलों का पर्याय हैं।</li></ul> <p><b>सोर्स:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>राज्य के बोर्डों और जिला-स्तरीय उद्योग बंधु समितियों को फिर से संगठित करने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय उद्योग बंधु समिति की अध्यक्षता में एक अधिकृत समिति की स्थापना - उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए</li><li><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></li></ul> <p><b>योजना 6:</b> विभागों द्वारा औद्योगिक और लघु-औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हस्तशिल्प कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>राज्य में लघु उद्योगों / उद्यम की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक भूखंडों और स्थापना सेवाओं का प्रावधान</li><li>सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन, विशेष रूप से प्रत्येक जिले</li></ul>		
--	--	--	--



<p><a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf</a></p> <p>□□□□□ 7: विश्वकर्मा श्रमसम्मान योजना</p> <p><b>लाभार्थी:</b> ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>स्वरोजगार के लिए कारीगरों को अधिक अवसरों का प्रावधान</li></ul> <p><b>सोर्स:</b></p> <p><a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf</a></p> <p><b>संपर्क करें:</b> प्रदीप कुमार, विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक 2226167 (कार्यालय) 9415070122 (मोबाइल)</p>	<p>के ग्रामीण क्षेत्रों और तहसील स्तर पर</p> <p><b>सोर्स:</b></p> <p><a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 7:</b> एमएसएमई पॉलिसी के तहत ब्याज सहायता</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हस्तशिल्प कारीगर और एमएसएमई</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में, प्रति वर्ष 7 प्रतिशत या अधिकतम रु 3 लाख प्रति यूनिट की दर से ब्याज अनुदान, 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा</li><li>मध्यांचल जिलों में, 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी या प्रति वर्ष अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति यूनिट, 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा</li></ul> <p><b>सोर्स:</b></p> <p><a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/latest-scheme.pdf</a></p> <p><b>योजना 8:</b> अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम</p> <p><b>लाभार्थी:</b> हैंडीक्राफ्ट कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p>		
--	---	--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>इस श्रेणी को अपने स्वयं के उद्यमों को स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf</a></p> <p><b>योजना 9: उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</b> लाभार्थी: बेरोजगार हस्तशिल्प कारीगर</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>यह योजना जिला स्तर पर लागू की जा रही है</li><li>स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर, अपने स्वयं के उद्यमों को स्थापित करने के लिए, शिक्षित और अशिक्षित और कुशल / अकुशल व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाना</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/">http://www.upmsme.in/site/writereaddata/siteContent/</a></p>		
--	--	--	--



	<p><a href="https://www.aiaca.org/202003061715592067WebsiteSchemes.pdf">202003061715592067WebsiteSchemes.pdf</a></p> <p><b>संपर्क करें:</b> प्रदीप कुमार, विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक 2226167 (ऑफिस) 9415070122 (मोबाइल)</p>		
	<p><b>विभाग:</b> उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड <b>योजना 1:</b> मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना <b>लाभार्थी:</b> बेरोजगार व्यक्ति, महिलाएं, पारंपरिक कारीगर (न्यूनतम योग्यता: मानक बारहवीं और आयु: 18-50 वर्ष) <b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों (एंटरप्रेन्योर्स) को बैंकों द्वारा 10 लाख रुपये तक की वित्तीय (आर्थिक) सहायता, सामान्य वर्ग के लिए सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान और एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं के लिए वहन की जाने वाली संपूर्ण ब्याज सब्सिडी के साथ, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति</li></ul> <p><b>सोर्स:</b></p>	<p><b>विभाग:</b> निर्यात संवर्धन (प्रमोशन) ब्यूरो <b>योजना 1:</b> मार्केटिंग सपोर्ट योजना <b>लाभार्थी:</b> पंजीकृत एमएसएमई निर्यातक <b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>स्टॉल शुल्क का 60 प्रतिशत अधिकतम तक का भुगतान किया गया एवं मेले / प्रदर्शनी के लिए 1,00,000 रुपये का.</li><li>अर्थव्यवस्था वर्ग द्वारा हवाई किराया अधिकतम 50 प्रतिशत। एक व्यक्ति के लिए प्रति मेले तक 50,000 रुपये</li><li>प्रचार विज्ञापनों, वेबसाइट के विकास, कैटलॉग प्रिंटिंग, आदि पर कुल लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम</li></ul>	



	<p><a href="http://www.upkvib.gov.in/cm_yojana.aspx">http://www.upkvib.gov.in/cm_yojana.aspx</a></p> <p><b>योजना 2:</b> पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना <b>लाभार्थी:</b> ग्रामीण लघु उद्योग <b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के माध्यम से और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अधिकतम अवसरों का प्रावधान</li><li>• प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्थापित इकाइयों को ब्याज सब्सिडी</li><li>• उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन (शुरू करना)</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upkvib.gov.in/DeendayaYojna1.aspx">http://www.upkvib.gov.in/DeendayaYojna1.aspx</a></p> <p><b>योजना 3:</b> कौशल में सुधार प्रशिक्षण योजना <b>लाभार्थी:</b> हैण्डलूम और हैंडीक्राफ्ट कारीगर और निहित कौशल वाले अन्य व्यक्ति <b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15-दिवसीय प्रशिक्षण जिसमें उत्पादन</li></ul>	<p>60,000 रुपये सालाना</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• एयर फ्रेट कूरियर पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक अधिकतम सहायता के मॉडल भेजने के लिए</li><li>• आईएसओ प्रमाणन, वूल मार्क, हॉल मार्क, आदि की सुविधा के लिए प्रति वर्ष कुल व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत 75,000 रुपये।</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis">http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis</a></p> <p><b>योजना 2:</b> गेटवे पोर्ट तक माल ढुलाई शुल्क पर सब्सिडी <b>लाभार्थी:</b> पंजीकृत एमएसएमई निर्यातक <b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 25 प्रतिशत माल ढुलाई शुल्क अधिकतम 5,000 रुपये प्रति कंटेनर (20 फीट) गेटवे पोर्ट के लिए राज्य [आईसीडी/सीएफएस द्वारा अपना माल</li></ul>	
--	---	--	--





	<p>प्रक्रिया, बिक्री आदि के बारे में जानकारी शामिल है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• प्रशिक्षण 10 जिला ग्राम्य प्रशिक्षण केंद्रों में जिला-स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.upkvib.gov.in/raining.aspx">http://www.upkvib.gov.in/raining.aspx</a></p> <p><b>संपर्क करें:</b> नवनीत सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0522-2208321 (ऑफिस) <a href="http://www.upkvib.gov.in/Directory-hi.aspx">http://www.upkvib.gov.in/Directory-hi.aspx</a></p>	<p>भेजने के लिए इकाइयों को निर्यात करने के लिए स्वीकार्य है। यह राशि जिला उपयोगकर्ताओं की समिति द्वारा अनुमोदित (एपरूड) है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले का जि.अ. करेगा।</p> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis">http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis</a></p> <p><b>योजना 3:</b> हवाई द्वारा भेजे गए निर्यात कार्गो पर सब्सिडी</p> <p><b>लाभार्थी:</b> पंजीकृत एमएसएमई निर्यातक</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• माल ढुलाई शुल्क का 20 प्रतिशत या 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष।</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis">http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis</a></p> <p><b>योजना:</b> राज्य निर्यात पुरस्कार</p>	
--	--	--	--



		<p><b>लाभार्थी:</b> पंजीकृत एमएसएमई निर्यातक</p> <p><b>मुख्य विवरण:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 25 श्रेणियों में राज्य के निर्यातकों को पुरस्कार देना</li></ul> <p><b>सोर्स:</b> <a href="http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis">http://www.epbupindia.com/index.php?action=ExportAssis</a></p> <p><b>संपर्क करें:</b> पवन अग्रवाल, संयुक्त निर्यात आयुक्त 0522-2202893 (ऑफिस) 9415467934,9810941828 (मोबाइल) <a href="mailto:pawanagarwal011973@gmail.com">pawanagarwal011973@gmail.com</a> (ई-□□□) <a href="http://www.epbupindia.com/index.php?action=contact">http://www.epbupindia.com/index.php?action=contact</a></p>	
--	--	---	--